म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद्

(पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन गठित पंजीकृत संस्था)

59, द्वितीय तल, नर्मदा भवन अरेरा हिल्स भोपाल (म.प्र.)

क्रमांक / 9157 / MGNREGS-MP/NR-3 / SE-1 / 2011 भोपाल, दिनांकः 15 सितंबर 2011

प्रति,

1. कलेक्टर / जिला कार्यक्रम समन्वयक
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी / अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक

जिला – समस्त (म.प्र.)

विषय :– **NREGS के अंतर्गत मजदूरी भुगतान तथा जाबकार्ड संधारण के संबंध में।**

संदर्भ :– 1. सचिव, म.प्र. शासन, ग्रामीण विकास विभाग का पत्र क्रं. 591 / NREGS-MP/TECH/2008, भोपाल दिनांक 07.02.08।
2. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का पत्र क्रं. 1000 / NREGS-MP/2008, भोपाल दिनांक 22.02.08।
3. सचिव, म.प्र.रा.रो.गा.स्कीम का पत्र क्रं. 1730 / NREGS-MP/2008, भोपाल दिनांक 28.03.08।

––0––

महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत मजदूरी भुगतान तथा जाबकार्ड संधारण के संबंध में संदर्भित पत्रों से निर्देश जारी किए गए है। राज्य शासन के निर्देशों में '' किसी भी स्थिति में जाबकार्ड, मजदूरी की प्रविष्टी अथवा अन्य प्रयोजन से सरपंच या सचिव द्वारा जमा करके अपने पास नहीं रखे जावेगें, मजदूरी के भुगतान की प्रविष्टी जाबकार्ड में की जाकर जाबकार्डधारी को तुरंत वापिस किया जावेगा। यदि किसी क्षेत्र में यह पाया जाता है कि जाबकार्ड हितग्राही परिवार के पास न होकर किसी अन्य के पास है तो इसे NREGA 2005 का उल्लघंन माना जाकर पुलिस अधीक्षक को तत्काल सूचित कर, संबंधित ग्राम पंचायत के थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज कराई जावे। ''

जाबकार्डस का संधारण जाबकार्डधारी ग्रामीण परिवार के पास होवें तथा समय–समय पर योजना में किए गए कार्य की प्रविष्टि हो, इस हेतु जिला अधिकारी समय–समय पर ग्राम पंचायतों के निरीक्षण के दौरान जाबकार्ड के संधारण की वस्तुस्थिति ज्ञात करें, यह भी राज्य स्तर से जारी निर्देशों में लेख किया गया है।

कृपया राज्य शासन के निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराते हुये जाबकार्ड का संधारण ग्रामीण परिवार के पास कराये जाने का कष्ट करें।

(प्रभाकांत कटारे)
मुख्य अभियंता
म.प्र.राज्य रोजगार गारंटी परिषद्
मुख्यालय भोपाल